राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 443/2010/जयपुर.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, शाहजहांपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आशियाना मंगलम डवलपर्स, कालवाड़ रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री डी. कुमार, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 01/11/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 47/अपील्स–चतुर्थ/2007–08/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 15.09.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चैकपोस्ट शाहजहांपुर, अलवर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 10.5.2007 को कुंडली (हरियाणा) से जयपुर के लिये 335 नग शटरिंग मैटेरियल परिवहनित करते हुए वाहन संख्या आर.जे.14/जीए–6247 को चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर माल के आयातकर्ता प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं होने के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत शास्ति रूपये 1,33,735/– एवं 12.5 प्रतिशत की दर से वैट रूपये 55,723/– का आरोपण आदेश दिनांक 10.5.2007 से किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.9.2009 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. हस्तगत प्रकरण में वक्त जांच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल एवं बिल्टी सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया है कि उक्त दस्तावेजों में प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं थे, साथ ही प्रत्यर्थी व्यवहारी वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत नहीं है। सक्षम अधिकारी का उक्त आधार प्रथम दृष्टया अनुचित है। कोई भी व्यक्ति स्वयं के उपयोग हेतु राज्य के बाहर से माल का आयात कर सकता है। वक्त जांच प्रस्तुत किये गये बिल में नियमानुसार सी.एस.टी. उद्ग्रहित किया हुआ था। ऐसी स्थिति में मात्र प्रत्यर्थी व्यवहारी के विभाग में पंजीकृत नहीं होने एवं बिल पर आयातकर्ता के पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं होने के आधार पर शास्ति एवं वैट का आरोपण पूर्णतया अविधिक है। इस सम्बन्ध में राजस्थान कर बोर्ड की **अपील संख्या 416/2011/अलवर सहायक आयुक्त, वृत–अ, भिवाड़ी बनाम मैसर्स आशियाना हाउसिंग लिमिटेड, भिवाड़ी निर्णय दिनांक 25.06.2014** में विस्तृत आदेश पारित करते हुए अवधारित किया गया है कि अपंजीकृत व्यवहारी/व्यक्ति के द्वारा राज्य के बाहर से माल आयात किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है।

5. उक्त विवेचन के आलोक में सक्षम अधिकारी द्वारा माल के बिल पर प्रत्यर्थी व्यवहारी के पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं होने के आधार पर शास्ति एवं वैट का आरोपण न्यायोचित नहीं माना जा सकता एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति एवं वैट को अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 15.09.2009 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

11/11/2019

(के. एल. जैन)
सदस्य